


86



पुनरीक्षण क...../2016-17

समक्ष - माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

सैकड़िया पिता नाहरसिंह, भिलाला,
निवासी ग्राम उण्डारी, तहसील जोबट,
जिला अलीराजपुर.

विरुद्ध

1. ममदिया पिता खेलसिंह, भील,
 2. होशियार पिता खेलसिंह, भील,
 3. केलबाई पिता खेलसिंह, भील,
 4. भंगड़ा पिता नजरु, भील,
- सभी निवासी ग्राम उण्डारी-पटेल फल्या,
तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर.

-आवेदक.

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री. को. 127-पत्र प्रो. डि. रा. ...
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26-11-2016
को प्रस्तुत।

825
26-11-2016

अधीनस्थ
आयुक्त कार्यालय

-अनावेदकगण.

(म.प्र. भू-रा. सं., 1959 की धारा 50 के
अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से सविनय निवेदन है कि -

(1) पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के लिये आधार का संक्षिप्त विवरण :-

यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जोबट, जिला अलीराजपुर के न्यायालय में अनावेदकगण के नाम से ग्राम उण्डारी, प.ह.नं. 16, तहसील जोबट में स्थित कृषिमूमि खाता नं. 252/2015-16 कुल खसरा नं. 8 कुल रकबा 3.220 हे. लगान रु. 103.84 पैसे पैकि खसरा नं. 259 रकबा 0-570 हे. पैकि रकबा 0-036 आरे के खसरा के कॉलम नं. 12 में कब्जा दर्ज करने हेतु संहिता की धारा 121 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालयमें राज. प्र.क. 841/बी.121/2014-15 पर पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में दि. 29-12-2015 को आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी/आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।

निरंतर-2.

Noted for
18.01.17
Advocate

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4339-पीबीआर/16

जिला अलीराजपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-1-2017	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-09-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय को कब्जा इद्राज करने की शक्ति नियमों में नहीं होने से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है, अतः अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	